नेपाल में प्रदर्शनों के बीच सीमा पर कड़ी सुरक्षा

बस्ती 11 सितम्बर (वार्ता). उत्तर प्रदेश में बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव त्यागी ने गुरूवार को कहा है कि नेपाल की हालत को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ सिद्धार्थनगर जिले में समस्त सीमावर्ती थानों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने बताया है कि सिद्धार्थनगर जनपद नेपाल की सीमा से सटा हुआ है नेपाल की स्थित को देखते हुए बढ़नी, ककरहा, अलीगढ़वा सहित अन्य सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है तथा सीमावर्ती सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा चौकसी बरती जा रही है तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड पर है. वर्तमान समय में भारत की सीमा पर सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये है .

कार्यालय छावनी परिषद, महू
द्वितीय निविदा सूचना

कार्यालय छावनी परिषद् महू द्वारा निम्नांकित कार्य के लिए निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1	छावनी क्षेत्र से मृत मवेशी उठाना व छावनी निधि कांजी हाऊस से गोबर उठाने के अधिकार कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ठेका अनुबंध पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए	10000/-	छावनी परिषद के निर्धारित आवेदन प्रारूप पर

निविदा हेतु धरोहर राशि eChhawani citizen site through m-Collect के द्वारा ही जमा की जावेगी व निविदा के साथ जमा की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। बगैर धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं किये जावेगें। प्राप्त निविदाएं दिनांक 07.10.2025 को सायंकाल 04. 30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जावेगें। इस हेतु निवदाएं दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 06.10.2025 तक दोपहर 12. 00 बजे आवदेन पत्र के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, संबंधित थाने से थाना प्रभारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण.पत्र जो कि 06 माह से अधिक पूर्व की अवधि का नही हो की प्रति संलग्न कर प्रात: 10. 30 से सांयकाल 17. 30 तक छावनी परिषद् कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। छावनी परिषद् कार्यालय में निविदा दिनांक 07.10.2025 को 13.00 बजे तक जमा की जा सकती है। समस्त निविदाओं को बगैर किसी कारण के स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार परिषद् का रहेगा। विस्तृत नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है।

निविदा के संबंध में अधिक जानकारी हेतू छावनी परिषद् कार्यालय महू में किसी भी कार्यदिवस पर प्रात: 11 से दोपहर 01 के मध्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकती है। (समूचित निविदायें प्राप्त न होने की दशा में पुन: निविदा आमंत्रण/निर्धारित समयावधि में वृद्धि/संशोधन इत्यादि छावनी परिषद् महू के सुचना पटल व वेबसाईट पर सूचना जारी की जावेंगी।)

मुख्य अधिशासी अधिकारी
महू छावनी

अकोला दंगों के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन

नई दिल्ली, 11 सितंबर. उच्चतम न्यायालय ने 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुए दंगों के मामले की जांच के लिए गुरुवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए कहा कि एसआईटी में हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाएंगे.

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय: 380, दूसरी मंजिल, साकेत नगर, इंदौर
फोन:0731-2438300, 2438305

परिसर की आवश्यकता

यूको बैंक परिसर किराए पर लेना चाहता है, जिसमें 1000-1200 वर्गफुट का कालीन क्षेत्र भूतल (Ground Floor) पर होना चाहिए। नई शाखा खोलने के लिए निम्नलिखित इलाके में परिसर की आवश्यकता है।

क्रं.	सेन्टर का नाम	कालीन क्षेत्रफल वर्गफीट	स्थान	विवरण
1.	इन्दौर	1000-1200	भंवरकुआ	केवल भूतल पर क्षेत्र की आवश्यकता, रु. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर के पक्ष में बोली के साथ आवश्यक

कालीन क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (1) अन्य सह-किरायेदारों के साथ साझा किए गए सामान्य क्षेत्र। (2) दिवारों, स्तंभों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र। शौचालय, सिढ़ी से ढका हुआ क्षेत्र। खुला बरामदा, गलियारा एवं मार्ग।

नियम व शर्तों सहित विवरण बैंक की वेबसाईट **www.ucobank.com/यूको बैंक, अंचल कार्यालय, दूसरी मंजिल, 380-साकेत नगर, इन्दौर - 452018** से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारुप पर सीलबंद लिफाफे में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **29.09.2025** है।

अंचल प्रबंधक, इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज- शाखा) जिला- बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक-1448/खनिज/2025 | Email id- modgmbar@mp.gov.in | बड़वानी, दिनांक 03/09/2025

[म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क)के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए]

-: प्रथम सूचना : -

यह सूचित किया जाता है कि बड़वानी जिले गौण खनिज पत्थर, बोल्डर, मुरुम (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु) एवं एम-सेंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 30दिवस की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा/ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	Advt. No.
बड़वानी	श्री जियाउलहक शेख पिता श्री फखरुद्दीन शेख निवासी वार्ड नं. 09, मेनमार्ग, पलसूद तह. राजपुर, जि. बड़वानी	29.08.2025	बड़वानी	वेदपुरी	829/1	4.00 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	गिट्टी (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) मुरुम एवं एम सेंड हेतु	ई.आई.डी. 37603
बड़वानी	DHANANJAY STONE CRUSHER Address. 213, Thikari Road, Anjad Dist. Barwani, तर्फे पार्टनर (1) श्रीमती श्वेता खंडेलवाल पति श्री संजय कुमार खंडेलवाल, नि. 213, ठीकरी रोड अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी (2) श्री संजयकुमार खंडेलवाल पिता मोहनलाल खंडेलवाल नि. 213, ठीकरी रोड, अंजड़ तहसील अंजड़ जिला बड़वानी	02.9.2025	अंजड़	पलासिया	158, 161	4.00 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	गिट्टी (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) मुरुम एवं एम-सेंड हेतु.	ई.आई.डी. 37657
बड़वानी	श्री गौतम भायल पिता श्री नारायण भायल निवासी ग्राम सजवानी तह. बड़वानी जिला बड़वानी	02.09.2025	बड़वानी	लोनसरा बुजुर्ग	51/1/1, 52/1	2.00 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	गिट्टी, बोल्डर (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) मुरुम एवं एम-सेंड हेतु	ई.आई.डी. 37637
बड़वानी	श्री सुनील पाटील पिता धुडकू पाटील, निवासी ग्राम बोराडी तह. शिरपुर जिला धुले (महा.)	02.09.2025	निवाली	वरल्या पानी	71,99	2.600 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	गिट्टी (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु)	ई.आई.डी. 37647
बड़वानी	आवेदक श्री कमल यादव पिता कैलाश यादव, निवासी यादव मोहल्ला ठीकरी, तह. ठीकरी, जिला बड़वानी	03.09.2025	ठीकरी	पिपरी	223	2.00 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	मुरुम	ई.आई.डी. 37678

1. उपरोक्त प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञापित के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 को निधन 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञपित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुन: 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

जी -18451/25

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला बड़वानी

सीआरपीएफ का पत्र, राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया

नई दिल्ली11 सितंबर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है.

सीआरपीएफ का कहना है कि पिछले नौ महीनों में राहुल गांधी छह बार विदेश यात्रा पर गए, लेकिन एजेंसियों को सूचना नहीं दी. इस तरह की चूक+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकती है. श्रेणी सुरक्षा प्राप्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीएफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाने वाला एक पत्र भेजा है. यह पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देशित है जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले नौ महीनों में बिना सूचना दिए छह बार विदेश यात्रा की हैं. इसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्राएँ शामिल हैं. सीआरपीएफ ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के उल्लंघन से राहुल गांधी की सुरक्षा कवर में कमजोरी आ सकती है और उनकी सुरक्षा पर संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है. सुरक्षा श्रेणी के तहत, एक व्यक्ति को येलो-बुक प्रोटोकॉल व एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत गतिविधियों, यात्रा और कार्यक्रमों की जानकारी पहले से देनी होती है ताकि सुरक्षा एजेंसी खतरा आकलन कर सकें. और आवश्यक इंतजाम कर सकें.

अमेरिकी बैंकों की बढ़ रही है चिंता

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली 11 सितंबर. गोल्डमैन सैक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेविड सोलोमन भी अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र के उन दिग्गज नाम की सूची में जुड़ गए हैं जिनका मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है.

ट्रम्प की व्यापार नीति से हो रहा नुकसान

इन लोगों की चिंता है कि ट्रम्प की नीतियां मंदी का कारण बन सकती हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यापार युद्ध विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है. गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के सीईओ ने बुधवार को अमेरिकी समाचार चैनल सीएनबीसी के साथ बातचीत में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने कुछ रोज़गार आँकड़े देखे हैं जो संकेत देते हैं कि कुछ नरमी आई है. मुझे लगता है कि आपको इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी. अगस्त में अमेरिकी थोक मुद्रास्फीति में अनुमानों के विपरीत आई गिरावट के बावजूद सोलोमन ने कहा कि उन्हें लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

आज का इतिहास

1781 जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉर्नवॉलिस से लड़ने के लिए दक्षिणी सैनिकों को स्थानांतरित करना प्रारम्भ किया।

1794 नॉर्थवेस्टर्न ओहियो में फॉलन टिम्बर की लड़ाई लड़ी गई।

1847 अमेरिकी सैनिकों ने चुरुबुस्को की लड़ाई में मैक्सिकन सैनिकों को हराया।

1953 फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के सुल्तान सीदी मो. बिन यूसुफ को गददी से हटाया।

1953 फ्रांसीसी सरकार ने मोरक्को के राजा मोहम्मद वी को बाहर कर, उसे कोर्सिका में बंदी बना दिया।

अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी, दो जख्मी

लॉस एंजिल्स 11 सितंबर. अमेरिका के कोलोराडो में स्थित एवरग्रीन हाई स्कूल में एक 16 वर्षीय छात्र ने अपने दो सहपाठियों को गोली मारकर जख्मी कर दिया और खुद को भी गोली मार ली.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	104069335	संपत्ति के बदले ऋण	30.08.2025	7,03,217.97/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. बालू सिंह 2. पार्वती बाई

संपत्ति का पता: निर्मित आवासीय भवन संख्या 34 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 1972 वर्ग फुट या 183.27 वर्ग मीटर, ग्राम आबादी सर्वे संख्या 5/1, ग्रामः पलड़ा, वार्ड संख्या 1 पर स्थित। 4, ग्राम पंचायतः पलड़ा, तहसीलः सुसनेर, जिलाः आगर मालवा, मध्य प्रदेश-456447, और सीमाः पूर्वः गली, पश्चिमः प्रभु सिंह का मकान, दक्षिणः सड़क, उत्तरः राधू सिंह का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	134282206	होम लोन	30.08.2025	3,29,025.65/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. पवन जेतराम 2. पूजा पवन

संपत्ति का पता: सभी संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर 30, कुल क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर, सर्वे नंबर पर स्थित है 838, गाँवः गरनई (दिशानिर्देश क्रमांक 74 के अनुसार), तहसीलः मल्हारगढ़, जिलाः मंदसौर, मध्य प्रदेश-458556, और सीमाः पूवः बहरूलाल का मकान, पश्चिमः रोड, उत्तरः रोड, दक्षिणः जेतराम का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	101900448	होम लोन	30.08.2025	6,13,591.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. राहुल सिंह 2. लक्ष्मी कंवर

संपत्ति का पता: भूमि सर्वेक्षण संख्या 103, मकान संख्या 183, ph नंबर 06, तहसील नागद, जिला उज्जैन, राम मंदिर के पास, ग्राम एवं ग्राम पंचायत कालसी, शहर उज्जैन, मध्य प्रदेश-456313, क्षेत्रफल 26x46, 1196 वर्ग मीटर वाली संपत्ति का पूरा टुकड़ा। फीट, और उत्तरः स्वयं की भूमि, दक्षिणः भगवान गिर का मकान, पूर्वः सड़क, पश्चिमः विक्रम सिंह का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	105018423	होम लोन	30.08.2025	5,93,295.50/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. रवि सिसोदिया 2. कालूराम बलराम 3. मंजूबाला कालूराम

संपत्ति का पता: भूमि सर्वेक्षण संख्या 500, पी.एच. संख्या 07 वाली संपत्ति का पूरा टुकड़ा, ग्राम एवं ग्राम पंचायत झुटावद, तहसील महिदपुर, सरकारी स्कूल के पास, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456440, माप 2250 = 1100 वर्ग। फीट, और उत्तर में गुमान जी का मकान, दक्षिण में चैना लाल जी का मकान, पूर्व में कॉमन रोड, पश्चिम में कॉमन रोड से घिरा हुआ।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	140453818	होम लोन	30.08.2025	7,40,237.13/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. सोबल सिंह काकड़ा 2. कन्ता बाई

संपत्ति का पता: प्लॉट/मकान संख्या का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल। 134, कुल क्षेत्रफल 912 वर्ग फुट, ग्रामः सेंकाली, फोन नंबर 42, वार्ड नंबर 07, तहसीलः टोंक खुर्द, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455116 पूर्वः खुली भूमि, पश्चिमः कॉमन वे, उत्तरः पप्पू सिंह भाटी का मकान, दक्षिणः रतन सिंह का मकान

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 11.07.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

गाजा जा रहे जहाज में आग की घटना सुनियोजित हमला थी

ट्यूनिस, 11 सितंबर. ट्यूनीशिया ने गाजा जाने के दौरान फैमिली जहाज में लगी आग की घटना को सुनियोजित हमला बताया है. ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि वह इस घटना की जाच शुरू कर रहा है. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के सबसे बड़े जहाज फैमिली में मंगलवार तड़के आग लग गयी थी. इस हादके के समय जहाज सिदी बू सैद बंदरगाह पर खड़ा था.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
पीथमपुर शाखा: दुकान नंबर DUGF-46 और DUGF-47, संपत्ति नंबर 138 एवं139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर,(म.प्र.)
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, दुकान नंबर 105,107,109, पहली मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया स्क्वायर, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, जिला इंदौर - 452001 (मध्य प्रदेश)
मनावर शाखा: आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 70, त्रिमूर्ति नगर, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)
धार शाखा: प्लॉट नंबर-70, पहली मंजिल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)
इंदौर अन्नपूर्णा शाखा: कार्यालय नंबर 101, मकान नंबर 154, प्लॉट नंबर 145, पहली मंजिल, वार्ड नंबर 71, द्रविड़नगर, एयू बैंक के ऊपर, कैट रोड के अंदर, रणजीत हनुमान मंदिर के पास, जिला - इंदौर (मध्य प्रदेश)
शुजालपुर शाखा: मकान नंबर 17, वार्ड नंबर 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर, शुजालपुर मंडी, जिला शुजालपुर - 465333 (मध्य प्रदेश)
उज्जैन शाखा: 06/पहली मंजिल, कमला नेहरूमार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, जिला उज्जैन - 456010 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं.05100000509/ पीथमपुर शाखा) कृष्णा बाई तिलकधारी (ऋणी), राम तिलकधारी (सह-ऋणी) प्रेमलाल जयसवाल (जमानतदार)	**11-06-2021 & ₹ 7,16,356/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 851 1 पैकी दक्षिण, मकान नं. 51 का भाग गोशाला तेलीखेड़ा, तहसील महू एवं जिला धार, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441, **चर्तु:सीमाएँ:-** पूर्व - मोहन का खेत, पश्चिम - रोड, उत्तर - सुनीता वर्मा का मकान, दक्षिण - संतोष काशिव का मकान	**Rs. 7,58,160/-**	**Rs. 75,816/-**	**भौतिक**
2	(लोन कोड नं.05100001763/ पीथमपुर शाखा) मोहम्मद इरफान (ऋणी), जोहरा बी (सह-ऋणी) अब्दुल आसिफ (जमानतदार)	**17-10-2019 & ₹ 5,51,332/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 480, ममता नगर, करोंदिया चौपाटी, ग्राम भाटखेडी, तहसील महू एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441 **चर्तु: सीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 463, पश्चिम -रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 479, दक्षिण - प्लॉट नंबर 481	**Rs. 3,81,024/-**	**Rs. 38,102/-**	**भौतिक**
3	(लोन कोड नं.00300003677/ इंदौर शाखा) विकास (ऋणी), सुनीता बाई (सह-ऋणी)	**24-08-2022 & ₹ 4,06,490/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 600 2 1 1 प.ह.नं.11 न्यू 33 सिनेमा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 09 देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453115, **चर्तु:सीमाएँ:-** पूर्व - आशीष का प्लॉट, पश्चिम - रोड, उत्तर - शब्बीर भाई का प्लॉट, दक्षिण - संजय व्यास का प्लॉट	**Rs. 7,22,171/-**	**Rs. 72,217/-**	**भौतिक**
4	(लोन कोड नं.16700000057/ मनावर शाखा) सोएब शाह (ऋणी), शाकिर शाह (सह-ऋणी) वसीम शाह (जमानतदार)	**11-07-2023 & ₹ 4,98,983/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग,सर्वे क्रमांक 298 1 299 1 302 3 1 फल्या, साई सिटी कॉलोनी के पास, ग्राम बाग, तह. कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454221 **चर्तु:सीमाएँ:-** पूर्व - इब्राहिम का प्लॉट, पश्चिम - रोड, उत्तर - सिराज खान का प्लॉट, दक्षिण - नूर मोहम्मद का प्लॉट	**Rs. 8,28,662/-**	**Rs. 82,866/-**	**भौतिक**
5	(लोन कोड नं.00300002689 / इंदौर शाखा) राजेंद्र पटेल (ऋणी), अनीता बाई और विक्रम सिंह (सह-ऋणी) शिव सिंह चौहान (जमानतदार)	**08-11-2023 & ₹ 2,63,168/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग,मकान क्रमांक 343 मानकर मोहल्ला बड़ा बाजार रोड वार्ड क्रमांक 12 ओल्ड 18 न्यू ग्राम राऊ इंदौर, मध्य प्रदेश - 453331, **चर्तु: सीमाएँ:-** पूर्व - नंदराम जी का मकान, पश्चिम - नवयुवक मंडल दामोदर की धर्मशाला दर्जी समाज, उत्तर - सड़क, दक्षिण - सड़क के बाद गोवर्धन का मकान	**Rs. 8,74,800/-**	**Rs. 87,480/-**	**भौतिक**
6	(लोन कोड नं. 06800000365/ धार शाखा) विजेंद्र सिंह ठाकुर (ऋणी) हेमलता कनेल (सह-ऋणी) संतोष चौहान (जमानतदार)	**08-11-2023 & ₹ 9,32,635/-**	संपत्ति का समस्त शेष वं सम्पूर्ण भाग, 730 731 732 733 प्लॉट नंबर 12 अनंतपुरम एक्सटेंशन, जेतपुरा में स्थित, महर्षि कॉलेज के सामने, तहसील: धार, मध्य प्रदेश - 454001 **चर्तु:सीमा:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 5 एवं 6, पश्चिम - कॉमन रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 13, दक्षिण - प्लॉट नंबर 11।	**Rs. 7,61,400/-**	**Rs. 76,140/-**	**भौतिक**
7	(लोन कोड नं.17310000160/ इंदौर अन्नपूर्णा शाखा) कन्हैयालाल वर्मा (ऋणी) भारती वर्मा (सह-ऋणी)	**08-08-2024 & ₹ 8,75,267/-**	संपत्ति का समस्त शेष वं सम्पूर्ण भाग,वृंदावन बिहारीलाल कॉलोनी, उज्जैन रोड, प्लॉट नंबर 28, देवास, मध्य प्रदेश - 455001। **चर्तु:सीमा:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 27, पश्चिम - प्लॉट नंबर 29, उत्तर - भूमि, दक्षिण - रोड	**Rs. 9,33,120/-**	**Rs. 93,312/-**	**भौतिक**
8	(लोन कोड नं. 09100000485/ शुजालपुर शाखा) बसंत यादव (ऋणी) प्रेमलता याद